कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.12.2025

विषयः- **"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चोलापुर मे पंजीकृत मारपीट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण को 07 वर्ष 03 माह की अवधि के कारावास व कुल 5,000/- रु0 का अर्थदण्ड।**

थाना चोलापुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 175 A/11 धारा 147,148, 452, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.सुरेन्द्र पुत्र जगन्नाथ 2.वीरेन्द्र पुत्र जगन्नाथ 3.बनारसी पुत्र कन्हैया 4.रामजी पुत्र धनेश्वर 5.महेन्द्र पुत्र शंकर 6.प्यारेलाल पुत्र नरमू 7.प्रकाश पुत्र लवजारी निवासीगण नियारडीह थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चोलापुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 23.12.2025 को माननीय न्यायालय एसीसी-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण सुरेन्द्र, वीरेन्द्र, बनारसी, रामजी, महेन्द्र, प्यारेलाल व प्रकाश उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 147,148, 452, 323, 504, 506 भादवि में 07 वर्ष 03 माह की अवधि का कारावास व कुल 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धनराशि अदा न करने पर अभियुक्तगण को 04 माह का अतिरिक्ति कारावास भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।